क्रम-संख्या—283

रजि० नं० एल. डब्लू. /एन. पी. 890

लाइसेन्स नं० डब्लू. पी०–41

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 28 नवम्बर, 2005

अग्रहायण 7, 1927 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 1344 / सात-वि-1—1(क)-30-2005

लखनऊ, 28 नवम्बर, 2005

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2005 पर दिनांक 27 नवम्बर, 2005 को अनुमति प्रदान की और उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 2005 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 2005

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 2005)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 और उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

अध्याय – एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2005 कहा जायेगा।

अध्याय – दो

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916 की धारा 10-क का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 10-क में उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात् :–

"(4) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, जहां अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण अथवा जनहित में किसी नगर पालिका का उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व गठन हेतु निर्वाचन कराया जाना व्यावहारिक न हो, वहां ऐसी नगरपालिका के विधिवत गठित होने तक नगरपालिका की समस्त शक्तियों, कृत्यों एवं कर्त्तव्यों का प्रयोग एवं कार्यान्वयन, जिला मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त नियुक्त ऐसे राजपत्रित अधिकारी, जो उप जिलाधिकारी के स्तर से नीचे का न हो, द्वारा किया जायेगा तथा ऐसा जिला मजिस्ट्रेट अथवा अधिकारी, प्रशासक कहलायेगा, और ऐसे प्रशासक को विधिक रूप में नगरपालिका, अध्यक्ष या समिति जैसा भी अवसर के अनुसार अपेक्षित हो समझा जायेगा।"

अध्याय – तीन

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1959 की धारा 8 का संशोधन

3–उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 8 में उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात् :–

"(4) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, जहां अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण अथवा जनहित में किसी नगर निगम के, उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व, गठन हेतु निर्वाचन कराया जाना व्यावहारिक न हो, वहां ऐसे नगर निगम के विधिवत गठित होने तक निगम, उसके महापौर, उप महापौर, वार्ड समिति, कार्यकारिणी समिति, विकास समिति और धारा 5 के खण्ड (ङ) के अधीन स्थापित अन्य समितियों की समस्त शक्तियाँ, कृत्य और कर्त्तव्य, विनिर्दिष्ट दिनांक से, जिला मजिस्ट्रेट, जिसे प्रशासक कहा जाएगा में निहित हो जायेंगे और उसके द्वारा उनका प्रयोग, निष्पादन और निर्वहन किया जायेगा और ऐसे प्रशासक को विधि सम्मत रूप से निगम, महापौर, उप महापौर, वार्ड समिति, कार्यपालक समिति, विकास समिति या अन्य समिति, जैसा भी अवसर के अनुसार अपेक्षित हो, समझा जायेगा।"

उद्देश्य और कारण

नगर स्थानीय निकायों का कार्यकाल निकट भविष्य में समाप्त होने जा रहा है किन्तु निर्वाचित स्थानीय नगर निकायों का गठन और उनके पदाधिकारियो का निर्वाचन नियत अवधि के भीतर कराया जाना सम्भव नहीं है क्योंकि 2001 के जनगणना के आधार पर वार्डों के परिसीमन, निर्वाचक सूची और वार्डों के आरक्षण में समय लगेगा।

उपर्युक्त परिस्थितियों में यह विनिश्चय किया गया कि किसी संकट के परिहार हेतु उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 और उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 को संशोधित करके यह व्यवस्था कर दी जाय कि जहाँ अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण अथवा जनहित में किसी स्थानीय नागर निकाय का उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व गठन हेतु निर्वाचन कराया जाना व्यावहारिक न हो, वहाँ ऐसी स्थानीय नागर निकाय के सम्यक् गठन होने तक नागर स्थानीय निकाय की समस्त शक्तियों का प्रयोग एवं कृत्यों का निष्पादन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किया जायेगा जो उस नागर स्थानीय निकाय का प्रशासक कहलायेगा।

तदनुसार उत्तर प्रदेश नगर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2005 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,

राम हरि विजय त्रिपाठी,

प्रमुख सचिव।

No. 1344/VII-V-1—1(Ka)-30-2005

Dated Lucknow, November 28, 2005

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Nagar Sthaniya Swayatta Shasan Vidhi (Sanshodhan) Adhiniyam, 2005 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 23 of 2005) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on November 27, 2005.

THE UTTAR PRADESH URBAN LOCAL SELF GOVERNMENT LAWS (AMENDMENT) ACT, 2005

(U.P. Act no. 23 of 2005)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 and the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-sixth Year of the Republic of India as follows :–

CHAPTER-I

Preliminary

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Urban Local Self Government Laws (Amendment) Act, 2005. Short title

CHAPTER-II

Amendment of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916

2. In section 10-A of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916, after sub-section (3) the following sub-section shall be *inserted*, namely :— Amendment of section 10-A of U.P. Act no. 2 of 1916

"(4) Notwithstanding anything to the contrary contained in any other provision of this Act, where, due to unavoidable circumstances or in the public interest, it is not practicable to hold an election to constitute a Municipality before the expiry of its term, then until the due constitution of such Municipality, all the powers, functions and duties of the Municipality shall be exercised and performed by the District Magistrate or by a *gazetted* officer not below the rank of a Deputy Collector appointed by the District Magistrate in this behalf, and such District Magistrate or Officer shall be called the Administrator, and such Administrator shall be deemed in law to be the Municipality, the President or the Committee as the occasion may require."

CHAPTER-III

Amendment of the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959

3. In section 8 of the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959, after sub-section (3) the following sub-section shall be *inserted*, namely :– Amendment of section 8 of U P. Act no. 2 of 1959

(4) Notwithstanding anything to the contrary contained in any other provision of this Act, where due to unavoidable circumstances or in the public interest, it is not practicable to hold an election to constitute a Municipal

Corporation before the expiration of its duration, then until the due constitution of such Municipal Corporation, all powers, functions and duties of the Corporation, its Mayor, Deputy Mayor, Wards Committee, Executive Committee, Development Committee and other Committees established under clause *(e)* of section 5 shall as from the specified date, be vested in and be exercised, performed and discharged by District Magistrate who shall be called the Administrator and such Administrator shall be deemed in law to be the Corporation, the Mayor, the Deputy Mayor, Ward Committee, Executive Committee, Development Committee or other Committee as the occasion may require.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The terms of Urban Local Bodies are going to expire in the near future but the constitution of elected Urban Local Bodies and the election of their office bearers could not be possible within the stipulated period as fresh delimitation of wards, preparation of electoral rolls, and reservation of wards etc on the basis of census of 2001 would take time.

In the above circumstances it has been decided to amend the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 and the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959, to provide that, where due to unavoidable circumstances or in the public interest it is not practicable to hold an election to constitute an Urban Local Body before the expiry of its term then until the due constitution of such urban local body all the powers, functions and duties of such urban local body shall be exercised and performed by the District Magistrate who shall be called the Administrator of that urban local body to avoid any crisis.

The Uttar Urban Local Self Government Laws (Amendment) Bill, 2005 is introduced accordingly.

By order,

RAM HARI VIJAI TRIPATHI,

Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 1989 राजपत्र (हि०)–2005–(2688)–597 प्रतियां–(कम्प्यूटर/आफसेट)।

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 108 सा० विधायी–2005–(2689)–850 प्रतियां–(कम्प्यूटर/आफसेट)।